

कन्या विवाह सहायता योजना हेतु आवश्यक प्रपत्र

1. आवेदन पत्र पर श्रमिक, वर-बधु का फोटो।
2. श्रमिक पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति।
3. कर्मकार प्रमाण-पत्र।
4. श्रमिक का आधार।
5. श्रमिक के परिवार रजिस्टर की छायाप्रति।
6. वधु का जन्म प्रमाण पत्र (शादी के समय 18 वर्ष)/आयु प्रमाण पत्र।
7. वधु का आधार कार्ड।
8. वर का जन्म प्रमाण (शादी के समय 21 वर्ष)/आयु प्रमाण पत्र।
9. वर के आधार कार्ड की छायाप्रति।
10. प्रधान/सभासद/तहसीलदार द्वारा शादी कार्ड प्रमाणित।
11. शादी का फोटो।
12. घोषणा पत्र।
13. श्रमिक की बैंक किताब की छायाप्रति।
14. श्रमिक पंजीयन तिथि अंशदान की वैधता
15. वधु की जन्म तिथि वर की जन्म तिथि
16. विवाह की तिथि
17. विवाह की तिथि को वधु की आयु वर्ष माह दिन
18. विवाह की तिथि को वर की आयु वर्ष माह दिन

**उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत
लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप**

1. निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना ☐
2. निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना ☐
3. कन्या विवाह अनुदान सहायता योजना ☐
4. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना ☐
5. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना ☐
6. विकित्सा सुविधा ☐

7. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना ☐
8. कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना ☐
9. गंभीर बीमारी सहायता योजना ☐
10. आवास सहायता योजना ☐
11. सौर ऊर्जा सहायता योजना ☐
12. ☐

आवेदक का
नवीनतम
फोटो

(नोट- आवेदन पत्र का प्रत्येक कॉलम बड़े तथा साफ अक्षरों में भरा जायेगा।)

1. निर्माण श्रमिका का नाम.....पिता/ पति का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. पंजीयन संख्या.....पंजीयन दिनांक.....
4. आधार संख्या.....(छायाप्रति संलग्न)
5. निर्माण श्रमिक का मोबाइल नम्बर
6. राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या (सी.बी.एस.ब्रांच).....बैंक का नाम.....
बैंक शाखा का पता.....आई.एफ.एस. कोड संख्या.....
7. वर्तमान पता.....
8. स्थाई पता
9. विवाहित/अविवाहित.....
10. यदि पति, पत्नी व दोनों पंजीकृत है तो पति/पत्नी की पंजीयन संख्या व आधार संख्या (आवेदनकर्ता से भिन्न).....
11. आवश्यक स्वप्रमाणित अभिलेखों की सूची :-

- क. श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति.....
- ख. आधार कार्ड की छायाप्रति.....
- ग. बैंक पास बुक की छायाप्रति (एकाउण्ट नं० शाखा का पता व आई0एफ0सी0 काड़ हेतु).....
- घ. संबंधित योजना से संबंधित आवश्यक अभिलेख/सूचना
1. 2. 3.
 4. 5. 6.

घोषणा

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई समस्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इस सम्बन्ध में कोई तथ्य झूठा/विपरीत पाया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी द्वारा इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया गया है/आवेदन नहीं किया गया है।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान

प्राप्ति रसीद

श्री/ श्रीमती/ कु०.....लामार्थी पंजीयन संख्या.....
से आज दिनांक..... को एक प्रार्थना पत्र.....योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया।

जांच आख्या

उपरोक्त इंगित योजना के अन्तर्गत श्री/श्रीमती/कु०
पिता/पति का नाम से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मेरे द्वारा
समस्त तथ्यों एवं संलग्नकों का परीक्षण किया गया है। जांच कार्यवाही में प्रार्थना पत्र में
उल्लिखित तथ्य/अभिकथन/अभिलेख परीक्षणोपरान्त सही पाये गये हैं/ निम्न अभिलेख
नहीं पाये गये हैं। और श्री/श्रीमती/कु०
..... पिता/पति का नाम
के पक्ष में योजना के हितलाभ की संस्तुति की जाती है/
का आवेदन/पत्र निरस्त किया जाता है। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाये)

दिनांक.

जांचकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मुहर सहित

निर्माण कर्मकार प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती
 पुत्र/पति श्री निवासी ग्राम
 पोस्ट ब्लाक तहसील जिला के द्वारा
 मेरे भवन एवं अन्य सन्निर्माण में निर्माण कर्मकार (राजमिस्त्री/बढ़ई/बेलदार/पेन्टर/इलैक्ट्रीशियन/वैल्डर/प्लम्बर)
 आदि के रूप में कार्य किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० स०	सेवायोजक/अधिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	योग (कुल दिन)	हस्ताक्षर

हस्ताक्षर निर्माण श्रमिक

परिवार का विवरण

क्र० स०	नाम	लिंग	आयु	सम्बन्ध पति/पत्नी/ अन्य
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

हस्ताक्षर निर्माण श्रमिक

कन्या विवाह अनुदान योजना

स्व: घोषणा पत्र

1. मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....
निवासी.....का रहने वाला/वाली हूँ।
2. मैं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हूँ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दिनांकको कराया था जिसकी पंजीयन संख्याहै।
3. मैंने कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने इस योजना के अन्तर्गत किसी भी अन्य विभाग से न तो लाभ लिया है, और न ही आवेदन किया है।
4. यह कि कन्या विवाह सहायता योजना में लाभ प्राप्त करने के उपरान्त श्रम विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा सत्यापन कराए जाने की स्थिति में मेरे द्वारा सत्यापन कराया जायेगा।
5. मेरे द्वारा दी गयी सूचना सत्य एवं सही है।
6. उक्त योजना से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मेरे द्वारा विवाह कार्य में ही खर्च की जायेगी।
7. मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य पायी जाये तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाये।

प्रार्थी

मो0 नं0

ग्रामप्रधान/सभासद प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी..... निवासी ग्राम/मो0.....पोस्ट.....
वि0 ख0..... तहसील..... जनपद बदायूं के मूलनिवासी हैं।

श्री/श्रीमती ने अपनी पुत्री..... का विवाह
दिनांक.....को श्री.....पुत्र.....निवासी
ग्राम/मो0.....जनपद.....के साथ किया है।

श्री/श्रीमती.....बेलदार/राजमिस्त्री/मनरेगा मजदूर/ईट
भट्टा का कार्य करते हैं।

दिनांक:-

हस्ता0 व मुहर

मो0न0

